# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(17)/लेखा/आकाशि/वि.पु.अर्द्ध.घु./का.भा.मे.छा.स्कूटी/2021–22/555    दिनांक– 19.07.2022

## विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु वर्ग की छात्राओं के लिए स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं से निम्नलिखित योजना में विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

| क्र. सं | योजना का नाम | वर्ष | पोर्टल प्रारम्भ तिथि | पोर्टल बंद की अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु वर्ग की छात्राओं हेतु | 2021–22 | 20.07.2022 | 31.08.2022 |

योजना से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबधित छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबधित दिशा–निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल–निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

(हरिसिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार

d:\scholarship\online scholarship\online schlorship.docx